इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 358] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 जुलाई 2022—आषाढ़ 14, शक 1944

विधि (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2022

फा. क्र. 54-2022-चार-वि.निर्वा.-160.—भारत निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है:—

1. अधिसूचना क्रमांक 480-2022, दिनांक 05 जुलाई 2022
2. अधिसूचना क्रमांक 480-2022 (1), दिनांक 05 जुलाई 2022

राजेश कुमार कौल, अपर सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2022—आषाढ़ 14, 1944 (शक)

अधिसूचना

सं. 480/2022:-यतः, श्री एम. वेंकैया नायडु, भारत के उपराष्ट्रपति की पदावधि, संविधान के अनुच्छेद 67 की शर्तों पर, 10 अगस्त, 2022 को समाप्त हो रही है; और

यतः पदधारित उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने तथा उनका कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व, इस प्रकार उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से, संविधान के अनुच्छेद 68 के खण्ड (1) की शर्तों पर निर्वाचन कराया जाना है; और

यतः राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन हेतु तारीख इस प्रकार नियत की जानी अपेक्षित है कि निर्वाचन ऐसे समय तक पूर्ण हो जाए और निर्वाचित उपराष्ट्रपति अपना पद 11 अगस्त, 2022 को ग्रहण करने में समर्थ हो सकें;

अतः अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा: -

अ) संविधान के अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचक मंडल से यह अपेक्षा करता है कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) और तदधीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार, वर्तमान उपराष्ट्रपति की अवधि खत्म होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें; और

आ) उक्त अधिनियम् की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में निम्नलिखित निर्धारित करता है:

(क) नामनिर्देशन की अन्तिम तारीख	: 19 जुलाई, 2022 (मंगलवार)
(ख) नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख	: 20 जुलाई, 2022 (बुधवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	: 22 जुलाई, 2022 (शुक्रवार)

(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान होगा: 6 अगस्त, 2022 (शनिवार)

आदेश से,

हस्ता./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

वरिष्ठ प्रधान सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 5th July, 2022—Ashadha 14, 1944 (Saka)

NOTIFICATION

No. 480/2022:- Whereas, the term of office of Shri M. Venkaiah Naidu, Vice-President of India, is upto 10th day of August, 2022, in terms of Article 67 of the Constitution; and

Whereas, an election is due to be held, in terms of clause (1) of Article 68 of the Constitution, to fill the vacancy to be caused by the expiration of the term of office of the incumbent Vice-President before the expiration of term of his office; and

Whereas, under sub-section (3) of Section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission of India is required to so appoint the dates for the election to fill the office of the Vice-President of India that the election will be completed at such time as will enable the Vice-President thereby elected to enter upon his office on the 11th day of August, 2022;

Now, therefore, the Election Commission of India hereby –

(A) **calls upon** the Electoral College, referred to in Article 66 of the Constitution, to elect a person to fill the above vacancy in the Office of Vice-President of India before the expiration of the term of the incumbent Vice-President, in accordance with the provisions of the Constitution, the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), and the Rules and Orders made thereunder; and

(B) in pursuance of sub-section (1) of Section 4 of the said Act, appoints -

a) the 19th July, 2022 (Tuesday), as the last date for making nominations;

b) the 20th July, 2022 (Wednesday), as the date for scrutiny of the nominations;

c) the 22nd July, 2022 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures; and

d) the 6th August, 2022 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken.

By order,

Sd./-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Sr. Principal Secretary.
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2022—आषाढ़ 14, 1944 (शक)

अधिसूचना

सं. 480/2022(1) :- राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा;

(क) अपनी दिनांक 5 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 480/2022 के अनुसार उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए मतदान का स्थान कमरा संख्या 63, संसद भवन, नई दिल्ली नियत करता है; और

(ख) 10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न दोनों को सम्मिलित करते हुए तक का समय ऐसे समय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसके, यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त स्थान पर मतदान होगा।

आदेश से,

हस्ता./-
(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
वरिष्ठ प्रधान सचिव.
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 5th July, 2022—Ashadha 14, 1944 (Saka)

NOTIFICATION

480/2022 (1):- In pursuance of Rule 8 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission of India hereby;

(a) fixes Room No. 63, Parliament House, New Delhi as the place of polling for the Vice-President Election to be held in accordance with its Notification No.480/2022, dated the 5th July, 2022; and

(b) specifies the hours from 10.00 a.m. to 5.00 p.m. both inclusive to be the hours during which the poll, if necessary, will be taken at the said place of polling.

By order,

Sd./-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Sr. Principal Secretary.
Election Commission of India.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.